28 नवंबर, 2011 को पूर्वाह्न 3.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 49वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 49.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स मनिपाल ईटीए इनफोटेक लिमिटेड	आगरा एवं जक्कासांद्रा गांव, बेगुर होबली, बेंगलुरू, कर्नाटक	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर	11.2	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड	धुब गांव, ताल्लुक मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	एफटीडब्ल्यूजेड	168.41	हां	हां	नया
iii	मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड	ताल्लुक मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	बहु उत्पाद	1840	हां	हां	नया
iv.	मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	गीगाप्लेक्स, प्लाट नंबर 5, एमआईडीसी नालेज पार्क, एयरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	13.15	हां	हां	नया
v.	मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रमनक्कापेटा गांव	बहु उत्पाद	1013.6	हां	संख्या	नया (बैठक से पूर्व एसजीआर प्राप्त हो जाने पर विचार किया जाएगा)
vi.	मैसर्स पीआरपी ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स	कालकुर्ची, चंद्रन कुलम एवं मल्लनकिनारी गांव, करियापती तालुक, विरुद्धनगर जिला, तमिलनाडु	ग्रेनाइट	104.373	हां	संख्या	नया (बैठक से पूर्व एसजीआर प्राप्त हो जाने पर विचार किया जाएगा)

***राज्य सरकार की सिफारिश**

मद संख्या 49.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) गांव गौड़काशीपुर एवं अरिसल, तहसील जतनी, जिला खुर्द, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

106.260 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड ने 45.58 एकड़ (18.56 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए साफ्टवेयर विकास की सुविधा स्थापित करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 28 जुलाई,

2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्र एसईजेड अधिसूचित किया गया है। मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, ने 43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हिरिसे हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में होटल, सर्विस अपार्टमेंट, कनवेंशन सेंटर, परिवार मनोरंजन की सुविधाओं जैसे कि जिम, बिलियर्ड / स्नूकर, टेबल टेनिस, स्वीमिंग पूल, थ्री होल मिनी गोल्फ कोर्स स्थापित करने के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हिरिसे हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया। प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था तथा अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को प्रस्ताव की फिर से जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया था। विकास आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्ताव पर 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में फिर से विचार किया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :
''अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड की रिपोर्ट पर चर्चा की तथा पाया कि दो मौजूदा सह विकासक अर्थात मैसर्स इयान हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स डी बी हास्पिटलिटी ने अनुमोदित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि दो अतिरिक्त होटल परियोजनाएं अनुमोदित करने के लिए पर्याप्त औचित्य आवश्यक है, जब पहले से अनुमोदित परियोजनाएं शुरू हो नहीं पाई हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोधों को आस्थगित कर दिया।''

सह विकासक ने यह कहते हुए अपने अनुरोध पर विचार करने के लिए फिर से अनुरोध किया है कि उन्होंने 3 स्टार प्रापर्टी स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जबकि मौजूदा 2 अनुमोदन 5 स्टार श्रेणी के लिए हैं। 5 स्टार प्रापर्टी की तुलना में 3 स्टार बजट प्रापर्टी की आवश्यकता अधिक है। पत्र दिनांक 2 नवंबर 2011 जिसमें प्रस्ताव के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान किया गया है, की प्रति अनुबंध 1 (पृष्ठ 26 से 29) के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड ने सूचित किया है कि दो मौजूदा सह विकासकों ने अपना प्रचालना शुरू नहीं किया है तथा उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वे अपने अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैसर्स डी बी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी निर्माण गतिविधि शुरू की थी तथा बाद में वित्तीय तंगी का हवाला देते हुए अपना निर्माण कार्य बंद कर दिया। इस प्रकार लग्भग ढाई साल का समय बीत जाने के बावजूद आज तक की स्थिति के अनुसार दो अनुमोदित परियोजनाओं में से एक भी शुरू हो सकी

हैं। विकास आयुक्त की विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध 1 क (पृष्ठ 30 से 33) के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में 26.1937 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 16 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में भवनों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 01 सितंबर, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.3 : औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) उथुकुली गांव, इरोड जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 **मई**, 2009 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड) का अनुरोध**

विकासक को एलओए दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से 101.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 103.64.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 9 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया था। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 मई, 2009 को समाप्त हो चुकी है तथा विकासक से वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। अब विकासक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है तथा वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करने में विलंब के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि दिसंबर 2011 तक अपना प्रचालन शुरू करने के लिए यूनिटें राजी हो गई हैं तथा मार्च 2012 तक निर्यात होने की संभावना है। अनुरोध विकास आयुक्त, एमईपीजेड के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.4 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) वेरना औद्यसेगिक क्षेत्र, गोवा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 107.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 105.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 6 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना के लिए 212.64 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और भावी विकास के लिए प्रतिबद्धता की है। विकासक ने कहा है कि गोवा सरकार ने अपनी एसईजेड नीति को वापस लेने का दावा किया तथा एसईजेड के लिए भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए गोवा में माननीय बांबे उच्च न्यायालय में रिट याचिका (संख्या 2008 का 349) दाखिल की है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26 नवंबर 2010 को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (2010 का 36458) दाखिल किया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला अभी भी लंबित है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पैराडिगम लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 40.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने अवसंरचना कार्य के प्रारंभिक विकास का कार्य शुरू किया है। तथापि, जीआईडीसी के कारण बताओ नोटिस जिसमें कार्य रोकने के लिए अनुदेश शामिल है, ने कंपनी को एसईजेड पर निर्माण गतिविधियां छोड़ने के लिए मजबूर किया है। विकासक ने सूचित किया है कि अब तक परियोजना में 58.24 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। सूचित किया गया है कि विकासक ने माननीय बांबे उच्च न्यायालय, गोवा बेंच के समक्ष कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध रिट याचिका 501/2008 दाखिल की है तथा एसएलपी 127/2011 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त मामला विचाराधीन है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) पनवेल, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 10.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.035 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 9 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने सूचित किया है कि अपेक्षित अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा चूंकि अधिग्रहीत भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में एमएमआरडीए द्वारा अधिसूचित किया गया है इसलिए कंपनी हरित क्षेत्र में रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर रही है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

(iv) माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 28.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 28.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में 25.05 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने बताया है कि मंदी की वैश्विक रुझानों तथा वित्तीय क्रेडिट की तंगी के कारण परियोजना का कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ। विकासक ने यह भी बताया है कि कंपनी एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्सुक है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

(v) रविरियाल गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारगेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 68.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 68.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 1 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में 61.30 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने बताया है कि मंदी की वैश्विक रुझानों तथा वित्तीय क्रेडिट की तंगी के कारण परियोजना का कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ। विकासक ने यह भी बताया है कि कंपनी एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्सुक है और

इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

(vi) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 6 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.43.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 5 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में अब तक 11 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तथापि, विभिन्न कारणों से परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

(viii) भिवाडी, अलवर जिला, राजस्थान में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 19.9994 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 26 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। राजस्थान सरकार ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड से विकासक को और समय विस्तार प्रदान न करने के लिए अनुरोध किया है। पत्र दिनांक 12 अगस्त 2011 जो विकास आयुक्त, एनएसईजेड के माध्यम से प्राप्त हुआ है, की प्रति अनुबंध 2 (पृष्ठ 34 से 35) के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ix) अहमदाबाद, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 27 जून, 2006 के माध्यम से 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 122.30.61 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 24 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 26 जून, 2011 तक वैध थी। विकासक ने कहा है कि हमारी एसईजेड भूमि के पास मंडली / गौचर भूमि का टुकड़ा प्रवालद्वीप जैसी संरचना का निर्माण कर रहा है जिससे

यदि वे दीवार बनाते हैं और भविष्य में भारी वर्षा होती है, तो मंडली / गौचर भूमि के उस टुकड़े के साथ कठिनाई हो रही है। उन्होंने गुजरात सरकार से आसपास में अपनी मौजूदा भूमि से भूमि के उस टुकड़े की अदला-बदली करने का अनुरोध किया है ताकि इसे संस्पर्शी बनाया जा सके और शेप अधिक अच्छा हो जाए। विकासक एसईजेड पर कर प्रभाव पर डीटीसी के अंतिम संकेत की भी प्रतीक्षा कर रहा है जिस पर अधिकांश संभावित पट्टेदार एसईजेड गतिविधि पर अपने भाग्य का निर्णय करेंगे। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश नहीं की है कि अपेक्षित बुनियादी अवसंरचना के सृजन के लिए विकासक द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

(x) दिघी पोर्ट, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड सहित पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(xi) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 14 जून, 2006 के माध्यम से 36.42 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 36.4218 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 जून, 2011 तक वैध थी। विकासक ने 13 जून 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया है कि वन विभाग से विमुक्तीकरण का आदेश उपलब्ध न होने के कारण परियोजना का कार्यान्वयन लंबित है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xii) नेदुम्बासेरी और चेंगामनाड्डु गांव, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अधिसूचना वाणिज्य विभाग में प्रक्रियाधीन है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने सूचित किया है कि भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई तथा 2013 तक परियोजना के पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। सूचित किया गया है कि अब तक परियोजना में 22 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

मद संख्या 49.5 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	एसईजेड का सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन	120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल बल्क / एपीआई फार्मुलेशन	नक्कापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश	एलओए दिनांक 16 अगस्त, 2010 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने अब तक 80 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा उम्मीद है कि 6 माह के अंदर शेष भूमि का क्रय कर लिया जाएगा। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

मद संख्या 49.6 : कोयंबटूर, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

107.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 26 जून 2006 को प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 जून, 2009 तक वैध थी। अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 35वीं बैठक में 24 जून 2009 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया था तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि बोर्ड ने नोट किया कि न तो राज्य सरकार से कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है और न ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित है। पहले एसईजेड नियमावली में सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था इसलिए 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक

अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए मांग करने वाले सभी अनुरोधों को नया अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया तथा यह शर्त रखी कि विकासक फार्म 'ए' दाखिल करेगा और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशें भी प्राप्त करेगा। तथापि, राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त न होने के कारण नया अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सका। इस बीच एसईजेड नियमावली में संशोधन किए गए हैं जिससे दो साल की अवधि के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने पत्र दिनांक 21 जून 2011 के माध्यम से सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। इसलिए विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। इस मामले में सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता 25 जून, 2009 को समाप्त हो गई है। विकासक के लिए 5वीं बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मांग करने का समय आ गया है। अनुमोदन बोर्ड को 25 जून, 2009 से वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करना है।

मद संख्या 49.7 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	एसईजेड का सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1620.496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद	जगतसिंहपुर जिला, उड़ीसा	एलओए दिनांक 26 अक्टूबर 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद एलओए दिनांक 22 दिसंबर 2009 के माध्यम से 26 अक्टूबर 2009 से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके बाद एक बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। एलओए की वैधता अवधि 25 अक्टूबर 2011 को समाप्त हो गई है। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उड़ीसा सरकार ने विकासक को 245.778 हेक्टेयर भूमि पट्टा पर दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1253 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए 2 मई 2011 को उड़ीसा सरकार को अनुमोदन प्रदान किया है। दिसंबर, 2011 तक वन भूमि के पट्टा पर दिए जाने की संभावना है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

मद संख्या 49.8 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स रिलाएबल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	बहु उत्पाद, 1010 हेक्टेयर	पछमा (अब्दुल्ला पुर) जिला सिहोर, मध्य प्रदेश	एलओए दिनांक 10 सितंबर, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 9 सितंबर, 2011 तक वैध थी। अब विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कंपनी 900 एकड़ (364.22 हेक्टेयर) भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है। विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने पत्र दिनांक 1 नवंबर 2011 के माध्यम से विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 3 (पृष्ठ 36 - 37) के रूप में संलग्न है।
2.	मैसर्स विक्रम लॉजिस्टिक एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एफटीडब्ल्यू जेड, 42.5 हेक्टेयर	पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	एलओए दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 15 अक्टूबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि 30.82 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इसके अलावा विकासक को विश्वास है कि 31 दिसंबर 2011 तक लगभग 12 हेक्टेयर की शेष भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तथा 30 जून 2012 तक औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन दाखिल किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

मद संख्या 49.9 : ग्राम फिरोजपुर और रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में बहु सेवा के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" के अनुमोदन के लिए गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

105.4386 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 अगस्त, 2011 को अधिसूचित किया गया था। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकासक की प्रस्तावित परियोजना निम्नलिखित कारोबारी गतिविधियों के लिए विश्व स्तरीय वित्तीय केन्द्र स्थापित करने के लिए है :

सेवा की प्रकृति	लक्षित व्यवसाय सेगमेंट
मूल वित्तीय सेवाएं	• राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रचालन केन्द्र; • वित्तीय सेवा कंपनियों के लिए राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / प्रकार्यात्मक मुख्यालय; • एनआरआई / क्षेत्रीय एचएनडब्ल्यू के लिए प्राइवेट बैंकिंग केन्द्र; • अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म वित्त केन्द्र;
पूंजी बाजार एवं ट्रेडिंग;	• अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार केन्द्र; • वैश्विक पूंजी बाजार में भागीदारी
आईटी और आईटीईएस / बीपीओ सेवाएं	• वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए आईटी और बीपीओ सेवाओं के लिए वैश्विक केन्द्र;

विकास आयुक्त ने यह भी बताया है कि विकासक उच्च प्रौद्योगिकी, आर्थिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना के साथ दीर्घ अवधि का कार्यालय / सेवा आवास प्रदान करने तथा विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाएं, वैश्विक एवं घरेलू वित्तीय फर्मों को लागत प्रभावी एवं सुरक्षित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्तावित आईएफएससी का विकास करना चाहता है।

विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है तथा एसईजेड अधिनियम की धारा 18 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ इसे अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.10 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) ग्राम पुतेनक्रुज और कुन्नाथुनाड्, तालुक कुन्नाथुनाड्, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स इनफो पार्क्स केरल का अनुरोध

12.5804 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 16 **मई**, 2011 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में** 27.0477 **हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** 39.6281 **हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि प्रस्तावित वृद्धि से** 8 **बिलियन वर्गफीट आईटी स्थान तथा सहायक सुविधाओं का निर्माण सुगम होगा जिससे लगभग** 80000 **आईटी पेशेवरों के लिए रोजगार सृजित होगा तथा विभिन्न सेवाओं में भारी संख्या में रोजगार पैदा होगा और पूर्णत: विकसित होने पर एसईजेड की निर्यात संभावना बढ़कर लगभग** 6000 **करोड़ रुपए हो जाएगी। विकास आयुक्त, सीएसईजेड तथा केरल सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है, संस्पर्शी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है।**

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) कनायान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

53.1809 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 01 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 46.3773 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 99.5582 हेक्टेयर हो जाएगा। 22 जुलाई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। राजस्व विभाग का यह मत था कि चूंकि सन्निकटता स्थापित करने पर काफी व्यय करना होगा तथा पहले से अधिसूचित एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि आईटी / आईटीईएस एसईजेड की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को पूरी करती है, एसईजेड विकासक मौजूदा अधिसूचित एसईजेड में भूखंड को शामिल करने की बजाय एक स्वतंत्र एसईजेड के लिए अनुमोदन प्राप्त करने पर विचार कर सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन एसईजेड को भूमि की वृद्धि के अनुमोदन के विकल्प पर भी विचार किया कि ऐसी अतिरिक्त भूमि तभी अधिसूचित की जाएगी जब मौजूदा एसईजेड के साथ उसकी सन्निकटता स्थापित हो जाएगी। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने के लिए निर्णय लिया :

(i) अनुमोदित एसईजेड में इस शर्त के अधीन अतिरिक्त भूमि की वृद्धि कि अतिरिक्त क्षेत्रफल को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित नहीं हो जाएगी, और वैकल्पिक तौर पर;
(ii) अलग एसईजेड के रूप में अतिरिक्त भूखंड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन, यदि राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होता है तथा सभी औपचारिकताएं एवं लागू शर्तें पूरी होती हैं।

केरल सरकार के प्रतिनिधि ने विकल्पों की जांच करने तथा उनके और विकासक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2010 (अनुबंध 4, पृष्ठ 38-47) के माध्यम से केरल सरकार का जवाब प्राप्त हो गया है। बताया गया है कि अलग एसईजेड (अर्थात विकल्प 2) उपयुक्त नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रसंस्करण क्षेत्र को विभाजित करना पड़ेगा तथा आईटी / आईटीईएस कंपनियों का नालेज क्लस्टर सृजित करने का इस परियोजना का उद्देश्य विफल हो जाएगा। बताया गया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि एक मौजूदा सड़क तथा सेतु के माध्यम से एसईजेड से जुड़ी है। परियोजना की प्रगति के साथ यातायात में वृद्धि का ध्यान रखने के लिए अतिरिक्त पुलों का प्रस्ताव है। परियोजना के लिए पुलों की तत्काल आवश्यकता नहीं है तथा इसकी वास्तविक उपयोगिता तक इसके निर्माण को विलंबित करने से अवसंरचना एवं भवनों के निर्माण के लिए निधियों का अधिक दक्षता के साथ उपयोग करने में परियोजनाओं को मदद मिलेगी। इसके अलावा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करने का प्रस्ताव है। इसलिए वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान करने के बाद तत्काल अर्थात नए पुलों का निर्माण होने तक प्रतीक्षा किए बगैर भूमि को अधिसूचित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) जयपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

102.7659 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 6 **जनवरी**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने** 52.093 **हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने तथा** 1.095 **हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** 153.7639 **हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव भूमि खाली पड़ी है, सन्निकट है, भारग्रस्त नहीं है और उस पर विकासक का कब्जा है। विकासक के अनुसार विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र अभी भी खाली पड़ा है तथा निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है। विकासक ने यह भी वचन दिया है कि विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पर कोई ड्यूटी छूट प्राप्त नहीं की गई है। प्रस्तावित वृद्धि / विमुक्तीकरण के बाद एसईजेड के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होगी। एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

(iv) जयपुर, राजस्थान में आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के आवंटन के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

103.1775 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 6 **जनवरी**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में** 119.4955 **हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** 222.6730 **हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है, संस्पर्शी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है।**

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के आवंटन के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

10.1360 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 13 **मई**, 2011 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में** 0.9440 **हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** 11.08 **हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है, संस्पर्शी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है।**

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) बंटाला, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के आवंटन के लिए मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

48.5623 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 8 **अगस्त**, 2006 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में** 16.1874 **हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** 64.7497 **हेक्टेयर हो जाएगा। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने यह कहते हुए प्रस्ताव की सिफारिश की है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है तथा उस पर विकासक का कब्जा है।**

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) मौजूदा सह विकासक के प्रचालन का क्षेत्रफल घटाने के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कीरंथम गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में 51.255 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया था। एलओए दिनांक 7 अक्टूबर 2008 के माध्यम से मैसर्स बेर्गुरेन प्रापर्टीज (नागपुर) प्राइवेट लिमिटेड को एसईजेड में 30.42 एकड़ भूमि के विकास के लिए एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब विकासक ने सह विकासक के प्रचालन का क्षेत्रफल घटाकर 2.25 एकड़ करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि सह विकासक की योजनाओं में परिवर्तन के कारण 30.42 एकड़ भूमि के विकास के लिए सह विकासक के साथ किया गया पट्टा विलेख दिनांक 2 अगस्त 2008 12 नवंबर 2009 को निरस्त कर दिया गया तथा 2.5 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए सह विकासक के साथ नया पट्टा विलेख किया गया।

सह विकासक के क्षेत्रफल में कटौती के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 27.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 28 सितंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को क्षेत्रफल में परवर्ती वृद्धि / कटौती के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसलिए एसईजेड का वर्तमान क्षेत्रफल 17.96 हेक्टेयर है। विकासक ने पुन: 7.399 हेक्टेयर भूमि को पुन: कम करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.559 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने अधिसूचित की जा रही भूमि के संबंध में प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है। विकासक ने यह भी कहा है कि विमुक्त होने के बाद शेष भूमि सन्निकट होगी तथा भूमि संबंधी आवश्यकता को पूरी करेगी। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.11 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 18.604 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

18.604 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। अब विकासक ने व्यवसाय योजना में परिवर्तन के कारण एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यह कहते हुए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है कि विकासक ने एसईजेड में ड्यूटी फ्री सामग्री का लाभ नहीं उठाया है। इसके अलावा एसईजेड में एक भी यूनिट स्थापित नहीं की गई है। विकास आयुक्त द्वारा यह**

भी सूचित किया गया है कि विकासक ने सेवा कर छूट के रूप में प्राप्त की गई 116454/- रुपए की राशि ब्याज सहित लौटा दी है। इस प्रकार विकासक के विरुद्ध कोई बकाया नहीं है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) थुंबे गांव, बंटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में 12.80067 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बी ए टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

12.80067 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 25 अगस्त, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि आईटी सेक्टर में टियर 3 शहरों में मौजूदा स्थिति तथा हाल के बजट में अधिनियम में लागू किए गए परिवर्तनों के कारण भी परियोजना लाभप्रद नहीं रह गई है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) संथाल (सरखेज - बावला हाइवे) तालुक सनंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.5146 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सिटी गोल्ड रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.5146 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 9 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि मैट लगाए जाने के कारण कंपनियां एसईजेड में अपने प्रचालनों को शिफ्ट करने की इच्छुक नहीं हैं। इसलिए कंपनी एसईजेड का विकास करने की स्थिति में नहीं है। विकास आयुक्त, केएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम लिंगमपल्ली एवं मेलासंगम, मुनीपल्ली मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स डा. रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 24 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने विस्तार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन द्वारा योजना में परिवर्तन के कारण एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। प्रबंधन ने एसईजेड से भिन्न प्रयोजना अर्थात डीटीए में बायो फर्मास्युटिकल के लिए भूमि का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। विकासक ने प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों को वापस करने का वचन दिया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.12 : एक से तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 4 फरवरी 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

`साफ्टवेयर विकास के लिए एलओपी दिनांक 5 फरवरी 2008 के माध्यम से एमएडीसी एसईजेड, नागपुर में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 4 फरवरी, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने यह कहते हुए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वित्तीय तंगी तथा विद्युत आपूर्ति की समस्या के कारण परियोजना विलंबित हुई है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि मिहान एसईजेड में यूनिटों के लिए विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में विलंब हुआ है। विकासक ने एसईजेड से 14 किलोमीटर की दूरी पर मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 240 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। हाल ही में उनको एसईजेड यूनिटों के लिए विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। वितरण लाइनें बिछाई जा रही हैं तथा इस विद्युत संयंत्र से एसईजेड यूनिटों को विद्युत आपूर्ति दिसंबर 2011 में आरंभ होने की उम्मीद है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 04 फरवरी, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 11 नवंबर 2011 के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रवीरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे सेमी कंडक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स केएसके सूर्या फोटोवाल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

फोटोवाल्टिक सेल के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 12 नवंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स केएसके सूर्या फोटोवाल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 11 नवंबर, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा कारखाना विभाग से

आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। विद्युत आपूर्ति के लिए सैद्धांतिक संस्वीकृति तथा जल बोर्ड से जलापूर्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया था। तथापि, व्यवसाय की स्थितियां अनुकूल न होने के कारण कंपनी का प्रौद्योगिकी प्रदाता छोड़कर चला गया। इसकी वजह से यूनिट को वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की तलाश करनी पड़ी तथा वित्तीय संस्था के साथ फिर से वार्ता करनी पड़ी। यूनिट को यकीन है कि लगभग 3 माह में प्रौद्योगिकी साझेदार मिल जाएगा।

`एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 31 अगस्त, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिगाची सेल्यूलस प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 11 सितंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स सिगाची सेल्यूलस प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 31 अगस्त, 2011 तक बढ़ाई थी। अब यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने यूनिट द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में अब तक 3.76 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि जून 2012 से यूनिट द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने की उम्मीद है। इसलिए विकास आयुक्त ने 11 सितंबर 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में यूनिट दो तिहाई कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं हुई है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11 सितंबर 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 31 दिसंबर, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स शंकर पैकेजिंग लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 मार्च 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स शंकर पैकेजिंग लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने

यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 31 दिसंबर, 2010 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने अगले तीन साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया है। यूनिट ने परियोजना को लागू करने में विलंब के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है :

(क) कंपनी के मौजूदा लोकेशन में दाहेज एसईजेड परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था की गई थी।

(ख) वर्ष 2008 और 2009 में वैश्विक संकट के कारण कंपनी ने दाहेज एसईजेड में निवेश को आस्थगित करने का निर्णय लिया था।

(ग) यूनिट दाहेज यूनिट में निवेश शुरू करने के लिए तैयार है क्योंकि वर्तमान लोकेशन में विस्तार पूर्ण हो गया है।

(घ) यूनिट वर्ष 2012-13 के दौरान कैपेक्स लेना चाहती है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। यह भी सूचित किया गया है कि 31 दिसंबर 2010 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करने के लिए यूनिट से सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसमें यह प्रमाणित हो कि यूनिट स्थापित करने के संबंध में निर्माण सहित कम से कम दो तिहाई गतिविधियां पूरी हो गई हैं। तथापि, यूनिट ने अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। यूनिट ने कोई विकास कार्य भी नहीं किया है। इसके अलावा विकासक ने यूनिट को आवंटित भूखंड को 11 अगस्त 2011 को निरस्त भी कर दिया है। इसलिए विकास आयुक्त ने यूनिट की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है। परंतु विकास आयुक्त ने प्रस्ताव किया है कि यूनिट को यह सलाह दी जाए कि वे भूखंड के नए आवंटन के लिए विकासक के पास आवेदन करें और इसके बाद अपनी प्रस्तावित निर्माण गतिविधियों के लिए नया एलओए प्रदान करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के पास आवेदन करें।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) 2 दिसंबर, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 दिसंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 02 दिसंबर, 2011 तक बढ़ाई थी। अब यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने यूनिट द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि यूनिट ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा स्थापित करने के लिए सहमति भी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा यूनिट ने परियोजना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा पहला उत्पादन भवन पूर्ण होने के कगार पर है तथा दिसंबर 2011 से साइट पर उत्पादन उपकरणों के पहुंचने की उम्मीद है। विकास आयुक्त द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि यूनिट द्वारा अब तक 175.85 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। इसलिए विकास आयुक्त ने 2 दिसंबर 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में यूनिट दो तिहाई कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं हुई है। इसलिए विकास आयुक्त, फाल्टा ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 02 दिसंबर, 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) 21 जनवरी 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध (अनुमोदन बोर्ड की 47वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए (अर्थात 21 जनवरी 2012 तक) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज के अनुरोध पर 22 जुलाई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया तथा अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, आईएसईजेड को प्रचालन शुरू करने के लिए यूनिट द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा प्रदान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया था कि रिपोर्ट में यूनिट द्वारा प्राप्त किए गए विनियामक अनुमोदनों, यूनिट द्वारा निर्यात के लिए चिह्नित देशों तथा निर्यात आर्डर के स्टेटस तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए लक्षित तिथि का स्पष्ट रूप से ब्यौरा प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसार विकास आयुक्त, आईएसईजेड से रिपोर्ट दिनांक 2 दिसंबर 2011 (अनुबंध 5, पृष्ठ 48-50) प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने 6 देशों अर्थात कांगो, जांबिया, नाइजीरिया, सियरा लियोन, चिली और बोलीविया में विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है जहां यूनिट ने लगभग कुल 200 उत्पादों का पंजीकरण कराया है। विभिन्न देशों अर्थात सियरा लियोन, सूडान, चिली, होंडूरस, जांबिया, बोलीविया आदि से 6.63 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात के लिए यूनिट के पास आर्डर हैं। यूनिट ने निर्यात के लिए उपर्युक्त देशों सहित 11 देशों की शिनाख्त की है। जहां तक उत्पादन के लिए लक्षित तिथि का संबंध है, विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने 21 जनवरी 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जो यूनिट के अनुसार उनको अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सुविधा का निर्माण करने तथा निर्यात के आशयित देशों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी तर्कसंगत समय प्रदान करेगा। यूनिट ने यह भी बताया है कि उनके पास प्रस्तावित परियोजना के लिए अपेक्षित वित्तीय व्यवस्था है और यदि उनको 31 जनवरी 2013 तक का विस्तार प्रदान किया जाता है तो वे अपने बैंकर से अपनी परियोजना के लिए अपेक्षित वित्त पोषण प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे।

विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने 21 जनवरी 2011 से दो साल की अवधि के लिए (अर्थात 21 जनवरी 2013 तक) यूनिट की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vii) भूत खांब, करीम, पोंडा, गोवा में फर्मास्युटिकल के लिए मैसर्स मेटीटैब स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए जारी किए गए अनुमति पत्र की वैधता अवधि 11 सितंबर 2011 के बाद बढ़ाने के लिए अनुरोध

123.20 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 10 **अप्रैल**, 2007 **को अधिसूचित किया गया था। एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों को एलओपी जारी किया गया** :

क्र. सं.	**यूनिट का नाम**	**एलओपी जारी करने की तिथि**	**एलओपी की वैधता अवधि**
1.	**मैसर्स सिपला लिमिटेड** (**यूनिट** 1)	12 **सितंबर**, 2007	11 **सितंबर**, 2011
2.	**मैसर्स सिपला लिमिटेड** (**यूनिट** 2)	12 **सितंबर**, 2007	11 **सितंबर**, 2011

उपर्युक्त यूनिटें वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रही हैं क्योंकि वे विकासक द्वारा दाखिल किए गए न्यायिक मामले के लंबित होने के कारण गतिविधि का संचालन करने में असमर्थ हैं। विकास आयुक्त ने माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी के अंतिम परिणाम के अधीन एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(viii) 27 जुलाई, 2009 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड मिहान एसईजेड की एक यूनिट है। यूनिट को साफ्टवेयर के निर्माण एवं निर्यात तथा परामर्श सेवा के लिए 28 **जुलाई** 2008 **को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए की शुरुआती वैधता अवधि एक साल के लिए थी तथा एसईजेड नियमावली** 2006 **के नियम** 19 (5) **के अनुसार** 27 **जुलाई** 2009 **से इसकी वैधता अवधि समाप्त हो गई है। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। यूनिट से एसईजेड नियमावली** 2006 **के नियम** 18 (2) (ii) **के अनुसरण में पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, यूनिट से सूचना प्राप्त न होने के कारण उसके एलओपी की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई गई।**

एसईजेड नियमावली 2006 **के नियम** 18 (2) (ii) **के अनुसार विकासक पट्टा करार करेगा तथा एलओपी जारी होने के बाद ही यूनिट को एसईजेड में स्थान का कब्जा प्रदान करेगा। इसके अलावा एलओपी जारी होने की तिथि से** 6 **माह के अंदर विकास आयुक्त को पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसा न होने पर अनुमोदन समिति सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के बाद एलओपी को वापस लेने की कार्रवाई कर सकती है।**

यूनिट ने अब यह कहते हुए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि यूनिट के रूप में अनुमोदन प्रदान करने के बाद शेल तथा कोर एवं चारदीवारी के निर्माण के लिए सिविल ठेकेदारों के

चयन के लिए निविदा निकाली गई। तथापि, वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण धीमी गति से निर्माण कराने तथा पट्टा विलेख का पंजीकरण न कराने का निर्णय लिया गया। यूनिट ने यह भी बताया है कि जनवरी 2009 में अप्रत्याशित घटनाओं के बाद टेक महिंद्रा रणनीतिक निवेशक के रूप में उभरा है तथा बोर्ड ने प्रचालनों को स्थिर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। उस समय, चूंकि अपघर्षण अधिक था और किसी अतिरिक्त अवसंरचना की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई। इसलिए पट्टा पर लिए गए कुछ परिसरों को सरेंडर करके प्रचालन व्यय को कम करने और फिर हैदराबाद एवं चेन्नई में एसईजेड परिसरों में अवसंरचना विकास पर ध्यान देकर पहल को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया, जहां काफी धनराशि का निवेश किया जा चुका है। यूनिट ने बताया है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मिहान एसईजेड में किसी गतिविधि को आगे नहीं बढ़ाया। तथापि, कंपनी स्थिरीकरण प्रक्रिया में है और रिकवरी के पथ पर है तथा अपनी वित्तीय स्थिति को सफलतापूर्वक बहाल कर लिया है तथा नए व्यवसाय / ग्राहक प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसलिए यूनिट ने जुलाई 2013 तक एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त ने 27 जुलाई 2009 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि पट्टा विलेख 24 अक्टूबर 2008 को निष्पादित किया गया था। तथापि, कंपनी के लेखाओं में हेराफेरी का पता चलने के बाद कंपनी में अप्रत्याशित घटना के कारण उसका पंजीकरण नहीं कराया गया। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद ही पट्टा विलेख का पंजीकरण कराया जा सकता है। विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने के लिए अनुरोध किया है।

भूतलक्षी प्रभाव से (अर्थात 28 जुलाई 2009 से) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ix) 30 नवंबर, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 01 दिसंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 30 नवंबर, 2011 तक बढ़ाई थी। अब यूनिट ने 30 अप्रैल 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने यूनिट द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि भूमि एवं निर्माण सहित साइट विकास की गतिविधियों के लिए यूनिट ने अब तक 4.83 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा उपकरणों के लिए अग्रिम भुगतान के लिए 1 करोड़ रुपए का अन्य निवेश किया है। इसके अलावा यूनिट ने मार्च 2012 तक 14.83 करोड़ रुपए का और निवेश करने का प्रस्ताव किया है तथा तब तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसलिए विकास आयुक्त ने 30 अप्रैल 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

तथापि, इस मामले में यूनिट दो तिहाई कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं हुई है। इसलिए विकास आयुक्त, फाल्टा ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल, 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.13 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 2 दिसंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टीएएल मैन्यूफैक्चरिंग सोल्यूशन लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

एयरोस्पेस उद्योग के लिए फ्लोर बीम एवं इसके कंपोनेंट के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 3 दिसंबर 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टीएएल मैन्यूफैक्चरिंग सोल्यूशन लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के एलओपी की अवधि समय समय पर बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 02 दिसंबर, 2011 तक वैध थी। यूनिट ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उसे अक्टूबर 2012 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हो जाने की उम्मीद है। यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने बोइंग कंपनी, यूएसए के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किया है जिन्होंने कुछ तकनीकी परिवर्तनों का सुझाव दिया है जिसकी वजह से परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

2 दिसंबर, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 6 नवंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मैसर्स मंगलौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

पैराक्सलीन, बेंजीन, एलपीजी, हाइड्रोजन तथा पैराफीनिक रैफिनेट के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 7 नवंबर 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स ओएनजीसी मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के एलओपी की अवधि समय समय पर बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 6 नवंबर, 2011 तक वैध थी। यूनिट ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश की है कि यूनिट ने 57 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली है तथा 25 सितंबर 2011 तक की स्थिति के अनुसार उनकी वित्तीय प्रगति 1211 करोड़ रुपए है।

6 नवंबर, 2011 के बाद एल साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.14 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 25 **नवंबर** 2008 **के माध्यम से नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने** 2 **फरवरी** 2011 **से गतिविधियां शुरू की तथा वर्ष** 2010-11 **के लिए यूनिट का निष्पादन इस प्रकार है** :

निर्यात का एफओबी मूल्य	**आयात (वर्ष के दौरान उपभुक्त)**	**एनएफई स्थिति**
39.28 **लाख रुपए**	**शून्य**	39.28 **लाख रुपए** (19.70 **लाख रुपए की विदेशी मुद्रा वसूल होने के लिए लंबित है**)

अब यूनिट ने लाजिस्टिक कारणों तथा कंपनी द्वारा अग्रेतर विस्तार योजनाओं के कारण मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड ने अपने लोकेशन को शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया है कि यूनिट को सूचित किया गया है कि प्रस्ताव के अनुमोदित हो जाने की स्थिति में उसे आयकर लाभों को छोड़ना होगा जिसका उन्होंने एनएसईजेड में व्यवसाय पर दावा किया है / करना है। यूनिट इस शर्त का पालन करने के लिए सहमत है।

वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 59 **के अनुसार एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिटों के अंतरण के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है।**

तदनुसार यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

डाटा प्रसंस्करण (सॉफ्टवेयर निर्यात) की सेवाएं प्रदान करने के लिए नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 23 **फरवरी**, 2005 **प्रदान किया है। यूनिट ने** 1 **जून** 2006 **को अपना प्रचालन आरंभ किया। विकास आयुक्त**, **एनएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने** 31 **मार्च** 2011 **तक** 84623.64 **लाख रुपए का निर्यात किया है तथा** 31 **मार्च** 2011 **तक प्रस्तुत एपीआर के अनुसार** 80788.90 **लाख रुपए का सकारात्मक एनएफई मेंटेन किया है।**

18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यूनिट को नोएडा एसईजेड से अपना लोकेशन गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में शिफ्ट करने का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

अब यूनिट ने गुड़गांव इनफोस्पेस एसईजेड में लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन को लौटाने का अनुरोध किया है तथा अपने लोकेशन को व्यवसाय योजना में परिवर्तन के कारण गुड़गांव में डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड में शिफ्ट करने का भी अनुरोध किया है।

यूनिट ने कहा है कि यह भारत में अपने वर्तमान व्यवसाय के विस्तार के लिए नए कर्मचारियों को काम पर रखना चाहती है। चूंकि मौजूदा क्षेत्र से वर्तमान आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी इसलिए यह अपने लोकेशन को नोएडा एसईजेड से गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट करना चाहती है। 31 मई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था। विकास आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 6, पृष्ठ 51)।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.15 : मैसर्स संड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा माइंडस्पेस एसईजेड) द्वारा माधापुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई शर्त को माफ करने के लिए मैसर्स पारेक्सल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड द्वारा हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

19 सितंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा माइंडस्पेस एसईजेड) द्वारा माधापुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने प्रचालनों को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स पारेक्सल के अनुरोध को अनुमोदित किया गया तथा यह शर्त रखी गई कि यदि यह प्रचालन यूनिट है तो शिफ्ट होने पर यह आयकर अधिनियम की धारा 10एए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगी।

अब यूनिट ने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड से आयकर अधिनियम की धारा 10एए के तहत लाभों के उपलबध न होने के संबंध में शर्त से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। यूनिट का औचित्य अनुबंध 7 (पृष्ठ 52 - 60) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.16 : मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में ट्रेडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स बालाजी पॉलीमर्स का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स बालाजी पॉलीमर्स ने उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड में ट्रेडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यूनिट की गतिविधि में मूल्यवर्धन की गतिविधि

के रूप में विभिन्न ग्रेड के पॉलीविनायल अल्कोहल की ब्लेंडिंग शामिल है। 14 सितंबर 2011 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया था। समिति ने पाया कि ब्लेंडिंग की प्रस्तावित गतिविधि विनिर्माण की गतिविधि है। इसलिए समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया। इसलिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने यूनिट द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 15 सितंबर 2011 (अनुबंध 8, पृष्ठ संख्या 61-68) की प्रति भी अग्रेषित की है जिसमें यूनिट ने बताया है कि पॉलीविनायल अल्कोहल पाउडर के रूप में है तथा यह कि मिक्सर अर्थात रीबन ब्लेंडर के माध्यम से विभिन्न ग्रेड के पॉलीविनायल अल्कोहल को मिश्रित करने का कार्य करेगी। मिलाने का कार्य हाथ से किया जा सकता है परंतु ऐसी स्थिति में एक समान मिश्रण तैयार नहीं होगा तथा अंतिम उत्पाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने रीबन ब्लेंडर के माध्यम से मिश्रित करने का प्रस्ताव किया है। यूनिट ने यह भी बताया है कि रीबन ब्लेंडर की सहायता से विभिन्न ग्रेड के पॉलीविनायल अल्कोहल का मिश्रण तैयार करना निम्नलिखित कारणों से विनिर्माण की गतिविधि नहीं है :

(i) विभिन्न ग्रेड के किसी पॉलीविनायल अल्कोहल के मिश्रण से कोई नया उत्पाद तैयार नहीं हो रहा है।
(ii) परिणामी उत्पाद के आईटीसी एच एस कोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
(iii) अंतिम उत्पाद के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
(iv) बल्क से रिटेल पैकेजिंग में पुन: पैकेजिंग के बाद भी तकनीकी विशेषताएं तथा अंतिम प्रयोग में परिवर्तन नहीं होगा।
(v) पीए जो पाउडर / ग्रेन्यूल के रूप में है, के भौतिक रूप में परिवर्तन नहीं होगा।

मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.17 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) अपना नाम बदलकर मैसर्स सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 57.0979 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मुलुंद, तालुक कुर्ला, जिला मुंबई सबअर्बन तथा ग्राम कोपरी, तालुक थाणे, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 23 अप्रैल 2008 को आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है। विकासक ने अपना नाम बदलकर मैसर्स सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है। विकासक ने कंपनी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2011 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि एसईजेड विकासक के शेयर होल्डिंग पैटर्न तथा प्रमोटर्स ने बड़े परिवर्तन नहीं किए गए हैं अर्थात मैसर्स आकृति सिटी लिमिटेड और मुट्ठा ग्रुप ऑफ कंपनीज का अभी भी एसईजेड विकास तथा कंपनी की अन्य गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण है। नाम में परिवर्तन से पहले तथा परिवर्तन के बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है :

व्यक्ति / कंपनी का नाम	01 फरवरी 2008	23.03.2011 तक की

	तक की स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार
शांतिलाल जी मुट्ठा	45000	35100
समीर एस मुट्ठा	45000	35100
सोनाली वी चोरदिया	10000	7800
आकृति सिटी लिमिटेड	100000	129000
डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड	100000	---
रिफ्रेश बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	---	93000
कुल	300000	300000

उपर्युक्त शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखा जा सकता है कि मूल विकासक 51 प्रतिशत इक्विटी का धारक है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि यह "एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करना" के संबंध में पहले से अनुमोदित श्रेणियों में नई श्रेणी के तहत आता है। तथापि, चूंकि एसईजेड अधिसूचित है इसलिए विचार करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुमोदन बोर्ड यह भी दृष्टिकोण अपना सकता है कि "एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करना" के संबंध में 15 जनवरी 2009 और 11 अगस्त 2009 को आयोजित अपनी बैठकों में अनमोदित दिशानिर्देशों को अधिसूचित एसईजेड पर भी लागू किया जा सकता है।

(ii) अपना नाम बदलकर मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड करने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड विभिन्न एसईजेड का विकासक / सह विकासक है, जो इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	सेक्टर / लोकेशन	स्थिति	अधिसूचना / अनुमोदन की तिथि	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	विकासक	26 अप्रैल, 2007	25.45
2.	पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	विकासक	26 अप्रैल, 2007	31.49

3.	दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	विकासक	22 जून, 2007	123.61
4.	रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	विकासक	03 सितंबर, 2009	60.94 + 120.09 = 181.03
5.	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	सह-विकासक	14 अगस्त, 2008	59.5
6.	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में आईटी एसईजेड	सह-विकासक	09 मई, 2007	52.21
7.	इलेक्ट्रानिक टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	सह-विकासक	22 जून, 2007	34.4750
8.	बंगलौर, कर्नाटक में आईटी एसईजेड	विकासक	01 जून, 2011	24.446

मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड कर लिया है तथा उपर्युक्त उसईजेड में अपना नाम बदलने के लिए अनुरोध किया है जिनमें यह विकासक / सह विकासक है। कंपनी रजिस्ट्रार कर्नाटक द्वारा 16 जून 2011 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। सूचित किया गया है कि नाम में परिवर्तन से कंपनी के किसी अधिकार या बाध्यता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या कंपनी के पिछले / पुराने नाम में कंपनी द्वारा किया गया कोई कानूनी करार / संविदा दोषपूर्ण नहीं हो जाएगी।

विकास आयुक्तों की रिपोर्ट के अनुसार केवल कंपनी के नाम में परिवर्तन हुआ है तथा विकासक / सह विकासक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विकास आयुक्तों ने प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि यह "एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करना" के संबंध में पहले से अनुमोदित श्रेणी 1 के तहत आता है। तथापि, चूंकि एसईजेड अधिसूचित हैं इसलिए विचार करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स आरएमजेड इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड की संपूर्ण इक्विटी शेयरहोल्डिंग के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट का अनुरोध

बंगलौर, कर्नाटक में 18.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने मैसर्स आरएमजेड इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो भारतीय कंपनी है, को 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरहोल्डिंग का अंतरण करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुबंध 9 (पृष्ठ 69-76) के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.18 : ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करना

ग्राम निमेटा, तालुक वघोडिया, जिला वडोदरा, गुजरात में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स निपियम इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। बाद में विकासक के अनुरोध पर औपचारिक अनुमोदन को एलओए दिनांक 30 जून 2010 के माध्यम से मैसर्स चेरविल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सीआईपीएल) के नाम में अंतरित किया गया। इसके बाद एनआईपीएल के निदेशकों में से एक से यह शिकायत प्राप्त हुई कि मैसर्स सीआईपीएल ने अपने नाम में फर्जी ढंग से औपचारिक अनुमोदन अंतरित कराया है। सीआईपीएल से इस शिकायत के विरुद्ध शिकायत भी प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी को खास निदेशकों से हानिकर असहयोग प्राप्त हो रहा है, जो विकास के सपने को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं और यह कि कंपनी को एसईजेड के विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में गैर विनियामक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोनों कंपनियों ने आरओसी में तथा पुलिस में भी एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। तद्नुसार विकास आयुक्त, केएएसईजेड से रिपोर्ट मंगाई गई जिसमें यह सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया कि एसईजेड के रूप में विकसित किए जा रहे प्रस्तावित भूमि पर इस पक्ष का स्पष्ट अधिकार है। विकास आयुक्त ने कलेक्टर, वड़ोदरा से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अपनी रिपोर्ट में विकास आयुक्त ने बताया है कि एसईजेड के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर किसी भी पक्ष का विधिसम्मत एवं कानूनी कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर मुकदमा चल रहा है क्योंकि उक्त भूमि सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त नहीं है। चूंकि विवाद से जुड़े किसी भी पक्ष का भूमि पर कब्जा नहीं है, इसलिए उचित होगा कि औपचारिक अनुमोदन को निरस्त कर दिया जाए।

इसलिए मामले में निर्णय के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 49.19 : अनुमोदन बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम भोकरापाड़ा, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में दो प्रवेश / निकास बिंदुओं तथा फेंसिंग के निर्माण की विधि के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड का अनुरोध

139.83 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक को पत्र दिनांक 14 मई 2009 के माध्यम से दो प्रवेश / निकास बिंदुओं तथा चारदीवारी का निर्माण करने की विधि अर्थात कुल 3 मीटर ऊंची चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें अनकोष्ड रबल चिनाई दीवार की न्यूनतम ऊंचाई 600 एमएम, चेन लिंक की ऊंचाई 1.8 एमएम तथा शीर्ष कटीले तार की फेंसिंग की ऊंचाई 600 एमएम होगी। सूचित किया गया है कि विकासक के अनुरोध को इस आधार पर मंजूरी प्रदान की गई थी कि एसईजेड में अधिकांश यूनिटें आईटी और आईटीईएस के लिए होंगी।**

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 (2) में यह प्रावधान है कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश और निकास के निर्दिष्ट बिंदु होंगे तथा ऐसे उपायों के माध्यम से वे पूर्णत: सुरक्षित होंगे जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं। नियम 11 (2) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि विकासक 240 सेंटीमीटर ऊंची दीवार का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है जिसके शीर्ष 60 सेंटीमीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी तथा प्रवेश और निकास का एकल बिंदु होगा तो अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा अनुदेश संख्या 25 के अनुसार आईटी एसईजेड की चारदीवारी की ऊंचाई के बारे में निर्णय विकास आयुक्त द्वारा लिया जाएगा तथा अन्य एसईजेड के संबंध में दीवार की ऊंचाई 2.4 मीटर या 1.8 मीटर प्लस 0.06 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग के रूप में हो सकती है। किसी विचलन के लिए प्रस्ताव निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड को संदर्भित करने होंगे।

तथापि, इस मामले में चूंकि एसईजेड बहु सेवा एसईजेड है, इसलिए 2 प्रवेश / निकास द्वार तथा उपर्युक्त के अनुसार फेंसिंग के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए था। चूंकि अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है।

(ii) मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि को नियमित करने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड का प्रस्ताव

प्रोसेस्ड गारमेंट / सभी प्रकार के रैग आदि के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 25 मार्च 2000 के माध्यम से यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट ने 17 जुलाई 2000 को प्रचालन शुरू कर दिया। पांच साल का ब्लाक 16 जुलाई 2005 को समाप्त हो गया। यूनिट के एलओपी की अवधि 31 दिसंबर, 2007 तक पुन: बढ़ाई गई थी। यूनिट ने पत्र दिनांक 19 दिसंबर 2007 के माध्यम से एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है। 25 मार्च 2008 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा शुरू में अनुरोध की सिफारिश नहीं की गई क्योंकि समिति ने महसूस किया कि एसईजेड के बुनियादी उद्देश्य अर्थात निर्यात और रोजगार सृजन के उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं। यूनिट ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया। 22 जून, 2009 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया था। यूनिट अनुमोदन समिति ने 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2012 तक 5 साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। यूनिट अनुमोदन समिति ने मामले को अनुमोदन बोर्ड के पास नहीं भेजा। उल्लेखनीय है कि 2 जनवरी 2008 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 5 साल की अवधि के लिए केएएसईजेड में समान यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई थी।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने बताया है कि यूनिट के निष्पादन की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रावधान के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा, न कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा एलओपी का नवीकरण किया गया। उल्लेखनीय है कि यूनिट का एलओपी जो यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा नवीकृत किया गया है, 31 दिसंबर 2012 तक वैध है। प्रचालन के 5 साल की अवधि के दूसरे ब्लाक में (1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2012 तक) केवल 14 माह बचे हैं। यूनिट की अच्छी मंशा को ध्यान में रखते हुए तथा पूर्वानुमानित निर्यात एवं रोजगार सृजन (लगभग 250 व्यक्तियों के लिए) के आलोक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 31 दिसंबर 2012 तक

एलओपी के नवीकरण को अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड नियमावली 2006 **के नियम** 18 (4) (**ग**) **के अनुसरण में नियमित किया जा सकता है। पत्र दिनांक** 20 **अक्टूबर** 2011 **जो विकास आयुक्त, एफएसईजेड से प्राप्त हुआ है, की प्रति अनुबंध** 10 (**पृष्ठ** 77 **से** 80) **के रूप में संलग्न है।** 1 **जनवरी** 2008 **से** 31 **दिसंबर** 2012 **तक यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा एलओपी की बढ़ाई गई वैधता अवधि को नियमित करने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड का प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

मद संख्या 49.20 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत प्रचालनों के लिए कुछ इनपुट सेवाओं के अनुमोदन के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स यूपीएस लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मैसर्स यूपीएस लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड मागरपट्टा सिटी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स मागरपट्टा टाउनशिप डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है। अधिकृत प्रचालनों के रूप में निम्नलिखित सेवाओं के अनुमोदन के लिए यूनिट के अनुरोध को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया:

रीयल एस्टेट एजेंट की सेवाएं

होटल आवास की सेवाएं

यूनिट ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के खिलाफ अपील दाखिल की है। अपील दाखिल करने के लिए प्रदान किए गए कारणों के साथ यूनिट की अपील अनुबंध 11 (**पृष्ठ** 81-86) **के रूप में संलग्न है। अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

****